

प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो। तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

२४<sup>६</sup>/<sub>२२</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्राची के द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत 148 (क) CFC पेश किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निती होकर गूम्बर से कम होकर वापिस निकल आ।

अपसुन्द अचिकासी (राजस्व)  
श्री करणपुर

